वर्षांत समीक्षा: 2022 - पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावरण के लिये जीवन शैली (LiFE)

- 1 नवंबर, 2021 को ग्लासगो में COP-26 में भारत के प्रधान मंत्री द्वारा 'लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट (LiFE)' की अवधारणा पेश की गई थी।
- UNFCCC COP-27 का कवर निर्णय, जिसका शीर्षक 'शर्म अल शेख कार्यान्वयन योजना' है, 'जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के प्रयासों के लिये स्थायी जीवन शैली और उपभोग व उत्पादन के स्थायी पैटर्न के लिये संक्रमण के महत्त्व" को नोट करता है।

सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना - वेस्ट-टू-वेल्थ

- सर्कुलर इकोनॉमी कार्ययोजनाओं के लिये अपशिष्ट की 10 श्रेणियों लिथियम ऑयन बैटरियाँ, ई-अपशिष्ट, वाहिक्त और खतरनाक औद्योगिक अपशिष्ट, स्क्रैप धातु (लौह और अलौह), टायर और रबड़, वाहनों का जीवनकाल खत्म होना, जिप्सम, प्रयुक्त तेल, सोलर पैनल और नगरीय ठोस अपशिष्ट को अंतिम रूप दिया गया है।
- MoEF&CC टायर और रबर के लिये सर्कुलर अर्थव्यवस्था कार्य योजना के लिये नोडल मंत्रालय है और अन्य CE कार्य योजनाओं में हितधारक मंत्रालय है।
- बाज़ार आधारित विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) सिद्धांत पर नियमों को चार श्रेणियों के कचरे यानी प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट, बैटरी अपशिष्ट, ई-कचरा और अपशिष्ट टायर के लिये अधिसूचित किया गया है।
    - अपशिष्ट टायर के लिये विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR), 2022।
    - प्लास्टिक पैकेजिंग के लिये EPR पर दिशानिर्देश
    - बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022
    - ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022
- वेस्ट-टू-वेल्थ मिशन / मिशन सर्कुलर इकोनॉमी के माध्यम से नए बिजनेस मॉडल के साथ-साथ रोज़गार के नए अवसर सृजित होंगे।

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP)

- MOEF&CC भारत में शहर और क्षेत्रीय स्तर पर वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिये कार्यों की रूपरेखा तैयार करने वाली राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) को लागू कर रहा है।
- राज्य कार्य योजनाएँ प्रक्रियाधीन हैं और अब तक 10 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त हुई हैं।
- शहरी कार्य योजनाएँ शहरों द्वारा उन गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिये तैयार की जाती हैं जो वायु गुणवत्ता सुधार में सहायता करती हैं।
- MoEF&CC ने उड़ीसा में **VAYU** पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन जैसे हितधारकों के संवेदीकरण, ज्ञान साझा करने और क्षमता निर्माण के लिये क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया।
- MoEF&CC ने नीले आकाश के लिये स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर NCAP की निगरानी और कार्यान्वयन के लिये एक पोर्टल **"प्राण"** भी लॉन्च किया है।
- एनसीएपी के तहत शहरों की रैंकिंग के लिये स्वच्छ वायु सर्वेक्षण दिशानिर्देश शहरों को जारी कर दिये गए हैं।

भारत में जलवायु कार्रवाई के प्रयास

- कैबिनेट ने भारत के अद्यतन राष्ट्रीय निर्धारित योगदान को मंजूरी दे दी है जो वर्ष 2070 तक नेट-शून्य तक पहुँचने के भारत के दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम है।
- CoP-26 में घोषित प्रधानमंत्री के **पंचामृत** को कैबिनेट की मंजूरी ने जलवायु लक्ष्यों को बढ़ाया और भारत अब वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करने के लिये प्रतिबद्ध है।

UNFCCC का पेरिस समझौता

- जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के पेरिस समझौते में कहा गया है, "सभी पक्षों को अपनी सामान्य लेकिन

अलग-अलग जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए लंबी अवधि के कम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन विकास रणनीतियों को तैयार करने और संवाद करने का प्रयास करना चाहिए। विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों का प्रकाश।

- भारत ने UNFCCC में पार्टियों के सम्मेलन (COP-27) के 27वें सत्र में अपनी दीर्घकालिक निम्न कार्बन विकास रणनीति की शुरुआत की।
- इसके साथ भारत उन 60 से कम देशों की सूची में शामिल हो गया है जिन्होंने UNFCCC को अपने LT-LEDS जमा किये हैं।
- भारत का दृष्टिकोण निम्नलिखित चार प्रमुख विचारों पर आधारित है जो इसकी दीर्घकालिक निम्न-कार्बन विकास रणनीति को रेखांकित करते हैं:
    - भारत ने ग्लोबल वार्मिंग में बहुत कम योगदान दिया है।
    - दुनिया की आबादी का 17 प्रतिशत हिस्सा मौजूद होने के बावजूद, संचयी वैश्विक जीएचजी उत्सर्जन में इसका ऐतिहासिक योगदान बहुत कम रहा है, भारत विकास के लिये निम्न-कार्बन रणनीतियों को आगे बढ़ाने के लिये प्रतिबद्ध है और राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार सक्रिय रूप से उनका अनुसरण कर रहा है।
    - भारत, विकास हेतु कम-कार्बन रणनीतियों का पालन करने के लिये प्रतिबद्ध है और राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप सक्रिय रूप से इनका अनुसरण कर रहा है,
    - भारत को जलवायु के प्रति लचीला होने की जरूरत है।
- एलटी-एलईडीएस का उद्देश्य वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म स्रोतों से भारत की संचयी विद्युत ऊर्जा स्थापित क्षमता का 50% प्राप्त करने के लिये भारत के जलवायु लक्ष्यों या राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) से आगे बढ़ना है।
- भारत का एलटी-एलईडीएस निम्न-कार्बन विकास मार्गों के लिये सात प्रमुख बदलावों पर आधारित है।
    - इनमें बिजली व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था, शहरीकरण, औद्योगिक व्यवस्था, CO2 हटाने, वानिकी, निम्न कार्बन विकास के आर्थिक और वित्तीय पहलू शामिल हैं।

भारत में चीता का आगमन

- भारतीय जंगल में आखिरी चीतों को वर्ष 1947 में देखा गया था।
- भारत में चीतों के विलुप्त होने का मुख्य कारण बड़े पैमाने पर जंगली जानवरों को पकड़ने, उपहार में देने और शिकार था।
- चीता की संख्या में गिरावट का कारण व्यापक आवास परिवर्तन के साथ-साथ शिकार है।
- वर्ष 1952 में सरकार द्वारा चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया था।
- भारत सरकार ने नामीबिया गणराज्य के साथ G2G परामर्शदात्री बैठकें शुरू कीं, जो चीता संरक्षण के लिये दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के रूप में परिणत हुई।
- आठ चीतों को नामीबिया से भारत (कुनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश) में स्थानांतरित किया गया था।

भारत में एशिया का सबसे बड़ा रामसर स्थल नेटवर्क की स्थापना

- भारत ने रामसर कन्वेंशन के ढाँचे के भीतर अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के आर्द्रभूमियों की सूची में 10 आर्द्रभूमि जोड़ा हैं।
- भारत में रामसर स्थल की कुल संख्या को 75 हो गई है, जो एशिया में सबसे अधिक है।
- भारत ने वर्ष 1982 में रामसर कन्वेंशन की पुष्टि की।
- राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और ओडिशा में चिल्का भारत सरकार द्वारा रामसर सूची में रखे जाने वाले पहले दो स्थल थे।
- रामसर स्टॉल पदनाम को एमओईएफसीसी से महत्त्वपूर्ण नीतिगत प्रोत्साहन मिला है।
- भारतीय रामसर स्थलों का नेटवर्क वर्तमान में 1.33 मिलियन हेक्टेयर को कवर करता है, जो देश की ज्ञात आर्द्रभूमि सीमा का लगभग 8% है।
- रामसर स्थल आर्द्रभूमियों का एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क बनाती हैं जो वैश्विक जैविक विविधता के संरक्षण और उनके पारिस्थितिकी तंत्र घटकों, प्रक्रियाओं और सेवाओं के रखरखाव के माध्यम से मानव जीवन को बनाए रखने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
- रामसर स्थल रामसर कन्वेंशन के तीन स्तंभों में से एक हैं, अन्य दो वेटलैंड्स के बुद्धिमानीपूर्वक उपयोग की दिशा में काम कर रहे हैं और सीमापार आर्द्रभूमि, साझा आर्द्रभूमि और साझा प्रजातियों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग कर रहे हैं।
- वर्ष 1986 से MOFCC रामसर स्थलों और अन्य प्राथमिकता वाले आर्द्रभूमि के लिये एकीकृत प्रबंधन योजनाओं को तैयार करने और लागू करने में राज्य सरकारों की सहायता करने के लिये राष्ट्रीय जल संरक्षण योजना के रूप में जानी जाने वाली एक राष्ट्रीय योजना को लागू कर रहा है।
- रामसर स्थलों को आर्द्रभुमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के तहत कानूनी संरक्षण प्राप्त है। प्रत्येक रामसर स्थल के पास एक प्रबंधन योजना होनी चाहिये जो बुद्धिमानी पूर्वक उपयोग के मार्ग की रूपरेखा तैयार करे।
- जून 2022 में मंत्रालय ने देश में आर्द्रभूमि संरक्षण के लिये "सम्पूर्ण समाज" दृष्टिकोण और शासन ढांचे को रेखांकित करते हुए 'सहभागिता दिशानिर्देश' भी तैयार किए।

चिह्नित एकल उपयोग प्लास्टिक और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन

- भारत ने ऐसे सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने की अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिये ठोस कदम उठाए हैं जो जैव अपघटित नहीं हैं और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इस रणनीति के दो स्तंभ हैं:
    - एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की वस्तुओं पर प्रतिबंध, जिनसे प्रदूषण अधिक हो और उपयोगिता कम हो,
    - प्लास्टिक पैकेजिंग पर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व का कार्यान्वयन।
- प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई बढ़कर 120 माइक्रोमीटर कर दी गई है।
- एकल उपयोग प्लास्टिक के विकल्प विकसित करने के लिये मंत्रालय द्वारा "**इंडिया प्लास्टिक चैलेंज - हैकाथॉन 2021"** का आयोजन किया गया था।
- धान के पुआल के कचरे (पराली) से थर्मोकोल का पूरी तरह से जैव-अपघटित विकल्प विकसित किया गया है। इस नवाचार में थर्मोकोल की जगह भी पराली का इस्तेमाल होगा।

- **प्रकृति- पृथ्वी के संदेशवाहक** को आम जनता के बीच जागरूकता फैलाने के लिये पर्यावरण की स्थिरता और सुरक्षा के शुभंकर के रूप में लॉन्च किया गया था।
- **पुनीत सागर और स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान** ने स्वच्छ समुद्र तटों को बनाए रखने में सामूहिक कार्रवाई के महत्त्व को प्रदर्शित किया है।

भारत के टाइगर रिज़र्व को TX2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार

- **TX2 -** यह एक बाघ संरक्षण उत्कृष्टता पुरस्कार है जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के एक संघ द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें शामिल संगठन हैं: कंजर्वेशन एश्योर्ड | टाइगर स्टैंडर्ड्स (CA|TS), फौना एंड फ्लोरा इंटरनेशनल, ग्लोबल टाइगर फोरम, IUCN इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंज़र्वेशन प्रोग्राम, पैंथेरा, UNDP लायन्स शेयर, वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी और WWF की टाइगर्स अलाइव इनिशिएटिव।
- यह पुरस्कार बाघ अभयारण्यों को दिया जाता है जिन्होंने वर्ष 2010 की तुलना में बाघों की संख्या को दोगुना करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है।
- वर्ष 2010 में 13 बाघ रेंज देशों द्वारा वर्ष 2022 तक जंगली बाघों की संख्या को दोगुना करने का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया था।
- इस श्रेणी के देशों के बाघ अभयारण्य/बाघ संरक्षण स्थल TX2 पुरस्कारों के लिये आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
- भारत से वर्ष 2020 में **पीलीभीत टाइगर रिज़र्व, उत्तर प्रदेश** ने TX2 पुरस्कार जीता और मानस टाइगर रिज़र्व, असम को ट्रांसबाउंड्री संरक्षण साझेदारी के लिये संरक्षण उत्कृष्टता पुरस्कार के लिये चुना गया।
- वर्ष 2021 के लिये TX2 पुरस्कार **सत्यमंगलम टाइगर रिज़र्व, तमिलनाडु** द्वारा प्राप्त किया गया था।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/year-end-review-2022-ministry-of-environment,-forest-and-climate-change